न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
पीठासीन अधिकारीः– श्री हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
मुकदमा नम्बरः– ~~163/2011~~ 748/2019

सुखपाल सिंह पुत्र माड़ा सिंह जाति जट सिख निवासी करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

1 बलवंत सिंह पुत्र माड़ा सिंह जाति जट सिख निवासी करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2 हरपाल कौर पत्नी दर्शन सिंह जाति जट सिख निवासी हाल आबाद दादू तहसील कालांवाली जिला सिरसा हरियाणा
3 सिमरजीत कौर पुत्री दर्शन सिंह जाति जट सिख निवासी हाल आबाद दादू तहसील कालांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4 स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 88, 53, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 7 नियम 11सपठित धारा 151 सीपीसी

दिनांक 7.1.2020

निर्णय

वादी ने वाद पत्र पेश कर चक 11 के.आर डब्ल्यू में खाता संख्या 56/64 मु.न. 9 का कि.न. 6, 7, 8, 9, 10 में 1.265 है. नहरी, प.न. 85/130 मु.न. 17 कि.न. 8, 9 में 0.506 है., कि.न. 10 में 0.127. है. कुल. 1.898 है. नहरी रकबा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम किया जावे एव प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने प्रार्थना पत्रं आदेश 7 नियम 11 सी पी सी वादी सुखपाल सिंह ने उक्त अनवान का वाद बलवंत सिंह, हरपाल कौर, सिमरजीत कौर, तहसीलदार के खिलाफ बाबत घोषणा एवं खाता तक्सीम का पेश किया है। सिमरजीत कौर व हरपाल कौर ने इस वाद से पूर्व में बलवंत सिंह, सुखपाल सिंह व तहसीलदार के खिलाफ घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन का वाद दिनांक 11.05.2018 को पेश किया था। जो नम्बरी माल संख्या 55/2018 है। जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.12.2019 निश्चित है। दोनो वादो में सेम पक्षकार है। विषय वस्तु सेम है। सेम न्यायालय में पेश किये है। इस प्रकार सुखपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत पंश्चातवर्ती वाद बार्ड बाई ला होने के कारण काबिले खारिजी के है।हम प्रतिवादीगण ने सुखपाल सिंह ब बलवंत सिंह, तहसीलदार के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर रखा है। उक्त वाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया था। जो प्रकरण संख्या 53/2018 पर दर्ज की गई। जिसमें माननीय न्यायालय में पक्षकारान को सुनकर यह आदेश दिये कि प्रतिवादीगण सिमरजीत कौर व हरपाल कौर के हक में यह आदेश पारित किये कि प्रतिवादीगण सिमरजीत कौर व हरपाल कौर की चक न0 11 के आर डब्लयू प0न0 88/128 मु0न0 9 किला न0 1 ता 3, 10 की 1.012 हैक्टर व प0न0 86/130 मु0न0 18 किला न0 10 की 0.253 हैक्टर कुल 1.263 हैक्टर रकबा में दखलन्दाजी करने से बाज व ममनू रहे व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

उक्त आदेश माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम किया गया था। वादी सुखपाल सिंह ने
पूर्व में प्रस्तुत वाद व आदेशो के तथ्य को न्यायालय से छुपाते हुए हम प्रतिवादीगण की
बिजी हुई ग्वार की फसल को हडपने के लिये माननीय न्यायालय में झूठे व मनघढत
तथ्यो के आधार पर वादपत्र व प्रार्थना-पत्र 212 आरटीए पेश किया ताकि हम
प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त व स्थगन प्राप्त कृषि भूमि पर एक तरफा तौर से स्थगन
अतः
प्राप्त करके ग्वार की फसल को हडपा जा सके।
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 2 नियम 2 सीपीसी एवं आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व
धारा 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी सुखपाल
सिंह द्वारा प्रस्तुत वाद बाॅई बाई ला होने पर खारिज किया जावे।

वादी/अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि सिमरजीत कौर द्वारा एक दावा पेश
किया जाना भी स्वीकार है लेकिन मु.न. 55/2018 में विषय वस्तु सेम नही है।
हस्तगत प्रकरण ने वादी ने चक 11 के आर डब्लयू के खाता संख्या 56/64 मु.न. 9
के कि.न. 6, 7, 8, 9, 10 में 1.265 हे. एव प.न. 85/130 मु.न. 17 कि.न. 8, 9 में 0.
506 है.एव कि.न. 10 में 0.127 है. कुल 1.898 है. की घोषणा एव खाता अलग से
कायम करने का अनूतोष चाहा है जबकि मुकदमा 55/2018 में वादी ने उक्त वर्णित
अनूतोष की मांग नही की है एव ना ही प्रार्थना पत्र के अंतिम आदेश मे उक्त वर्णित
अनूतोष की मांग नही की है, एव ना ही प्रार्थना पत्र में उक्त वर्णित आराजी का स्थगन
जारी है एव ना ही प्रार्थी के खिलाफ जारी है। मुकदमा 55/2018 मे परिवार बलवंत
सिंह, हरपाल कौर, एव सिमरजीत कौर का आपस में विवाद है। प्रार्थी सुखपाल सिंह
से कोई विवाद नही है। प्रार्थी सुखपाल सिंह ने मु.न. 55/2018 में वादग्रस्त चक 11
के आर डब्लयू के प.न. 88/128 मु.न. 9 कि.न. 1 ता 3, 10 की 1.012 है., एवं प.न.
86/130 मु.न. 18 कि.न .10 की 0.253 है आराजी कुल 1.263 है. आराजी के सबंध में
कोई अनूतोष नही चाहा है, तो प्रार्थी सुखपाल सिंह द्वारा ग्वार की फसल को हडपने
का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 2 नियम 2 सी
पी सी एव आदेश 7 नियम 11 सी पी सी एव धारा 10 सी पी सी वादी/ सुखपाल
सिंह की ओर से पेश कर अर्ज कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया मिसरजीत कौर द्वारा पेश
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 2 नियम 2 सी पी सी एव आदेश 7 नियम 11 सी पी सी
एव धारा 10 सी पी सी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने निवेदन
किया कि वाद में सिर्फ 4 लोगो को पक्षकार बनाया है। उन्ही में से सिमरजीत कौर व
हरपाल कौर ने सेम पक्षकारों के खिलाफ 11.5.2018 को पेश किया था। जिसको वादी
स्वीकार करते है। जिसकी पेशी 31.12.2019 है। समान पक्षकार व समान विवादित भूमि
है अतः धारा 10 सी पी सी व आदेश 2 नियम 2 सी पी सी के तहत निषेध है व
आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के अनूसार भी खारिज योग्य है। उस दावे के साथ
लगी 212 आर.टी.ए. की प्रार्थना पत्र अंतिम रूप से निर्णित किया जा चूका है, जिसको
छुपाकर नया दावा लाये है। अतः स्वच्छ हस्त अदालत हाजा में नही आया है अतः वाद
वादी खारिज फरमाया जावे एव डी एन जे 2014 सुप्रीम कोर्ट पेज नं. 714 , डी एन जे
2013(3) पेज नं. 714 नजीरे पेश की।

वादी/ अप्रार्थी ने निवेदन किया कि इस दावे में विवादित भूमि अलग है मैं अलग
काश्त कर करा हूं मेरा रकबा इनके रकबे से एव मेरा अनूतोष भी अलग है पूर्ववर्ती
वाद मे मेरे को सिर्फ सहकाश्तकार के नाते पक्षकार बनाया है पूर्ववर्ती वाद प्रार्थी का
पारिवारिक विवाद था। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा पेश फैसले की प्रतियों का अवलोकन किया गया। पूर्ववर्ती वाद पत्र सिमरजीत कौर आदि बनाम बलवंत सिंह आदि में वादी सुखपाल सिंह बतौर प्रतिवादी संख्या 2 पक्षकार है एव उक्त अनवानी वाद पत्र व पूर्ववर्ती वाद पत्र में विचाराधीन चक 11 के आर डब्लयू मु.न 9 , मु.न. 17 , मु.न. 18 की 5.060 है. आराजी ही है एब वादी द्वारा चाही गयी आराजी के सम्बध में अस्थायी निषेधाज्ञा हेतू पेश प्रार्थना पत्र निर्णीत किया जा चूका है व मुल वाद पत्र में जवाब हेतू पत्रावली मुकर्रर है एव एक समान पक्षकारों व एक समान आराजी के सम्बध में दो–दो वाद एक साथ चलने योग्य नही है, वादी को पूर्ववर्ती वाद पत्र में प्रतिवादी पक्षकार होने के कारण उक्त अनवानी वाद पत्र पेश करने हेतू प्रतिवादीगण (प्रार्थीगण) के विरूद्व वाद हेतूक प्राप्त नेही होता है, वादी(अप्रार्थी) को पूर्ववर्ती वाद पत्र की सुनवाई में उपस्थित होकर स्वयं के हक हिस्सा की आराजी के सम्बध में क्लैम करने हेतू पूर्ण अधिकार प्राप्त है एव ऐसी स्थिती में वादी नया वाद लाने का अधिकारी नहीं है एव पूर्ववर्ती वाद के विचारण के दौरान नया वाद पेश करना विधि द्वारा वर्जित है, इस सम्बध में प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) द्वारा पेश नजीरें डी एन जे (एस सी) 2014 पेज नं. 714, डी एन जे 2013(3) पेज नं. 1262 उक्त अनवानी वाद पत्र में चस्पा होती है। अतः आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः आवेदन पत्र आदेश 2 नियम 2, आदेश 7 नियम 11 सी पी सी व धारा 10 सी पी सी स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 07.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.28 17:16:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: